1457 (150)

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या–1428/V-2-2015–53(आ0)/2014टी0सी0–1
देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–731/V–2/53(आ0) /2014, दिनांक 06.06.2014 से गठित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य प्रशासक वेतनमान रूपये 15600–39100 (ग्रेड पे–6600) के 02 अस्थायी पद दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त सृजित पदों को राज्य विकास प्राधिकरण के ढांचे के गठन के समय, उसमें समायोजित किया जायेगा।

3– उक्त पदों पर पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी की तैनाती की जायेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–679/xxvii(2)/2015, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किए जा रहें है।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–1428/V-2-2015–53(आ0)/2014टी0सी0–1–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(4) मुख्य प्रशासक/ अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(5) मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूँ, पौडी/नैनीताल।
(6) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
(7) जिलाधिकरी, देहरादून।
(8) सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
(9) मुख्य लेखा अधिकारी, देहरादून।
(10) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव ।